

(भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 6/26(ii)/2023-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

21 फरवरी, 2024

नई दिल्ली, दिनांक -----

2 फाल्गुन, 1945 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 5(1) और 9(2)(ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री श्रीनिवासन श्रीधर (जन्म तिथि: 3.5.1960) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

संजय

(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।